

290
4/11/2021

मध्यप्रदेश शासन,
प्रहल सं. [क. 830]
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/पं.रा./एफ-1- /2021/ 430

भोपाल, दिनांक 04.06.2021

प्रति,

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन

वन/पर्यावरण/राजस्व/गृह/खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण/

वित्त/सूचना/पंचायत एवं ग्रा.वि.विभाग/अनुसूचित जाति कल्याण/

अनुसूचित जनजाति कल्याण/किसान कल्याण एवं कृषि विभाग/ सूचना एवं

प्रौद्योगिकी/सामाजिक न्याय/उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन/विधि एवं विधायी

कार्य/पशुपालन विभाग

मंत्रालय भोपाल।

विषय:- पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम 1996 के नियम बनाने संबंधी बैठक आयोजित करने बाबत।

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों के लिये पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 भारत सरकार द्वारा दिनांक 24.12.1996 से प्रभावशील किया गया है। इस संबंध में दिनांक 08.06.2021 को समय प्रातः 11:30 बजे, विकास आयुक्त कार्यालय के सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें उक्त योजना के प्रभारी अधिकारी, जो कि उप सचिव से अन्यून स्तर के हो नियत प्रारूप में पूर्ण जानकारी के साथ अनिवार्यतः उपस्थित रहें।

(उमाकांत उमराव)

प्रमुख सचिव

मध्य प्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग